राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा, जिला बाड़मेर।

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

(कोर्ट कैम्प का स्थान ग्राम पंचायत सालारिया)

राजस्व आवेदन संख्या 334/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थी जानी खान पुत्र दादा बनाम तहसीलदार सेड़वा।

आदेश

प्रार्थी श्री जानी खान पुत्र दादा निवासी सालारिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत मय दस्तावेज कर निवेदन किया है कि पटवारी हल्का सालारिया के राजस्व गांव सालारिया के खाता संख्या क्रमशः 147, खसरा संख्या 130, रकबा 6.2402 हैक्टैयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 14 रकबा 0.9632 हैक्टेयर, खसरा संख्या 519/199 रकबा 3.5369 हैक्टेयर, खसरा संख्या 521/199 रकबा 3.8850 हैक्टेयर किस्म बा.दो. खाता संख्या 146 के खसरा संख्या 479/140 रकबा 3.6017 हैक्टेयर किस्म बा.सो. जमाबन्दी संवत् 2073–76, में उनका नाम जानी खान पुत्र धाधा राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है, तथा पटवार हल्का सालारिया के राजस्व ग्राम सालारिया के खाता संख्या 35 के खसरा संख्या 136 रकबा 1.1088 हैक्टेयर, खसरा संख्या 50 रकबा 6.0460 हैक्टेयर किस्म बा.सो. जमाबन्दी संवत् 2073–76, में उनका नाम जानी खान पुत्र दादू दर्ज हो गया है, जबकि उनका शुद्ध नाम जानी खान पुत्र श्री धाधा व दादू के स्थान पर जानी खान पुत्र श्री दादा है। इस तरह उनका नाम जानी खान पुत्र श्री धाधा व दादू के स्थान पर जानी खान पुत्र श्री दादा दुरूस्त किया जावें।

अतः तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 18.09.2025 की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थी श्री जानी खान पुत्र दादा का राजस्व गांव सालारिया के खाता संख्या क्रमशः 147, खसरा संख्या 130, रकबा 6.2402 हैक्टैयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 14 रकबा 0.9632 हैक्टेयर, खसरा संख्या 519/199 रकबा 3.5369 हैक्टेयर, खसरा संख्या 521/199 रकबा 3.8850 हैक्टेयर किस्म बा.दो. खाता संख्या 146 के खसरा संख्या 479/140 रकबा 3.6017 हैक्टेयर किस्म बा.सो. जमाबन्दी संवत् 2073–76, तथा पटवार हल्का सालारिया के राजस्व ग्राम सालारिया के खाता संख्या 35 के खसरा संख्या 136 रकबा 1.1088 हैक्टेयर, खसरा संख्या 50 रकबा 6.0460 हैक्टेयर किस्म बा.सो. जमाबन्दी संवत् 2073–76, में प्रार्थी का नाम जानी खान पुत्र श्री धाधा व दादू के स्थान पर जानी खान पुत्र श्री दादा शुद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर आगामी 15 दिनों में पालना इस न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

क्रमांकः– 1393-95 दिनांकः– 8/10/2025

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि 2026.02.04 राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद की पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री जानी खान पुत्र दादा, निवासी सालारिया तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:00:54 IST
Reason: SelfAttested